**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.10.2024**

## थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 03.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पर पुरस्कार घोषित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । गठित टीमों द्वारा 50,000 रुपये की इनामीया अभियुक्ता राजरानी कालरा पत्नी करतार कालरा निवासी म0न0-ए-22 अशोक नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र करीव 73 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्ता के घर पर दबिश दी गयी तो घर पर मौजूद मिली। अभियुक्ता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्ता थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे पुरस्कार घोषित अपराधी है। अभियुक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता –**

राजरानी कालरा पत्नी करतार कालरा निवासी म0न0-ए-22 अशोक नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र करीव 73 वर्ष

**आपराधिक इतिहास**

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम।

## थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने व गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी देना व गर्भपात कराने में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त ताहिर खान पुत्र सलीम खान द्वारा वादिया के साथ धोखे से अभियुक्त उस्मान खान का नाम आयुष्मान बदलकर वादिया से शादी कर लेना तथा वादिया को जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाकर वादिया के साथ गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना व वादिया का गर्भपात करा देने के संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा टीमें गठित

कर दिनांक 03.10.2024 को पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त ताहिर खान पुत्र सलीम खान नि0 म0नं0- 214 ए चुन्गी नं0- 2 लाल कुआं थाना पुल प्रहलादपुर, दिल्ली हाल नि0 ए-913 निखार एवेन्टिनो सोसायटी, सुरजापुर रोड, बेल्लानडूर, बैंगलोर कर्नाटक उम्र 37 वर्ष को सुरजापुर रोड, बेल्लानडूर, बैंगलोर कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 21.09.2024 को अभियुक्त परवेज पुत्र स्व0 सलीम खान निवासी ए 214 लाल कुआ चुंगी नं0-02 एम.डी.रोड़ नई दिल्ली उम्र 44 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:</u>**

ताहिर खान पुत्र सलीम खान नि0 म0नं0- 214 ए चुन्गी नं0- 2 लाल कुआं थाना पुल प्रहलादपुर, दिल्ली हाल नि0- ए-913 निखार एवेन्टिनो सोसायटी, सुरजापुर रोड, बेल्लानडूर, बैंगलोर कर्नाटक उम्र 37 वर्ष।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

**थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।**

दिनांक 03.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी सलमान पुत्र रहीस निवासी इकबाल अंसारी ऑफिस के पास, बुध नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को लोनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 08.05.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –</u>**

सलमान पुत्र रहीस निवासी इकबाल अंसारी ऑफिस के पास बुध नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

**<u>अपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग –</u>**

अभियुक्त के विरुद्ध चोरी व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है तथा धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>**

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

**थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान 20 किलो 900 ग्राम लोहे का स्क्रैप आदि बरामद ।**

दिनांक 02.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी मौ0 इरशाद पुत्र मौ0 इलियास निवासी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने एक तहरीर दी कि अभियुक्त मौ0 अफजाल व उसके साथी द्वारा वादी के गोदाम से माल चोरी करके कबाडी को बेच देना । जिसके संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा तहरीर के आधार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 04.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे एवं मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त मौ० अफजाल पुत्र मुन्ना निवासी विजय मोहल्ला मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली को बेहटा पुलिया से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान 20 किलो 900 ग्राम लोहे का स्क्रैप, आदि बरामद हुआ । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरणः-**

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने साथी दानिश के साथ मिलकर गुलाब वाटिका में इरशाद के गोदाम से कई बार लोहा चोरी किया था। उसमें से कुछ लोहा हम दोनों ने आने-जाने वाले कबाड़ियों को बेच दिया था तथा शेष लोहे के कबाड़े को बेचने जा रहा था कि आपने पकड़ लिया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –**

मौ0 अफजाल पुत्र मुन्ना निवासी विजय मोहल्ला मौजपुर गली न० 18 थाना जाफराबाद दिल्ली,उम्र करीब 30 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण**

चोरी का सामान 20 किलो 900 ग्राम लोहे का स्क्रैप,कबाड़ा आदि बरामद ।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग**

उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

**थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

दिनांक 24-09-24 को वादी श्री नवीन सिंह निवासी गाज़ियाबाद ने सूचना दी गयी कि जेराल्ड मैथ्यूज मैशी नाम के व्यक्ति अपने साथीगण के साथ मिलकर सेवा नगर म0नं0 110 में लोगो को प्रोत्साहित कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही का विवरण**-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर दो टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 25-09-24 को 05 शातिर अभियुक्तों को सेवानगर में एक घर से गिरफ्तार किया गया था,जिन्हे मा0 न्यायालय से समक्ष पेश किया गया,गिरफ्तार अभियुक्तों के फोन से मिली

जानकारी से अभि0 चमनलाल पुत्र बेगराज सिंह निवासी इन्द्रगढी निकट दिल्ली धर्मकाँटा थाना मसूरी कमि0 गाज़ियाबाद उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया, चमनलाल भी गरीब व बीमारी से ग्रस्त लोगो को भिन्न भिन्न प्रकार के लालच देकर जैसे बच्चों से कॉन्वेन्ट स्कूल में दाख़िला, नौकरी, बीमारी ठीक करने आदि का देकर उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सूचना पर दिनांक 04-10-24 को अभियुक्त चमनलाल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभि0 का नाम व पता**

चमनलाल पुत्र बेगराज सिंह निवासी इन्द्र गढी निकट दिल्ली धर्मकाँटा थाना मसूरी कमि0 गाज़ियाबाद उम्र- 53 वर्ष

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ में अभियुक्त चमनलाल ने बताया कि मैं व मेरे साथीगण जेराल्ड उर्फ गैराल्ड मैथ्यूज मैशी, रवि, आशीष, रोहन व दीपक के साथ मिलकर ग़रीब व अनपढ लोगो को बीमारी सही करने, बच्चो का एडमिशन कराने, नौकरी दिलाने व कुछ धन देने का लालच देकर उन्हे धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करते है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम** -

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

**हनी ट्रैप के मामले मे 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार ब्लैकमेल कर लिये गये रुपये में से 6000/- रुपये बरामद**

**घटना का विवरण-** दिनांक 03.10.2024 को थाना मोदीनगर पर प्रमोद कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी शिव हरि मन्दिर कलोनी गली - 1 मकान 260 दिल्ली रेलवे लाईन नई ट्यूवैल के पास जनपद मेरठ ( प्रभारी टाईगर सिक्योरिटी ग्रुप मेरठ) ने उपस्थित थाना आकर एक तहरीर अभियुक्ता आरती नामक महिला जो कि अपना निवास स्थान मोदीनगर बताती के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड मे नौकरी लगवाने की माँग करना तथा नौकरी के आधारकार्ड आदि गाजियाबाद जाते समय उसके निवास स्थान मोदीनगर से आते – जाते हुये प्राप्त करने के बहाने अपने निवास स्थान निवाडी रोड बुलाकर अचानक से उसके सामने नग्न अवस्था मे खडी हो जाने तथा अचानक ही 03 व्यक्ति ( जिनमे से 01 अपने आप को पत्रकार तथा 02 SOG का सिपाही बताते है ) के द्वारा आवेदक को पकडकर , आवेदक के कपडे उतरवाकर, महिला आरती व आवेदक प्रमोद की वीडियो जबरन बनाकर आवेदक को गाडी मे बैठालकर जबरन 10 लाख रुपयो की माँग करना तथा आवेदक की जेब मे रखे 48000/- रुपये भी छीन लेने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जिस पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुंसगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता आरती व अन्य अज्ञात की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीमो का गठन किया गया।

**कार्यवाही का विवरण-** दिनांक 03.10.2024 को साय 18.00 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता आरती पत्नी प्रमोद नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष हाल नि0 किरायेदार रूमा त्यागी का मकान मो0 डिफेंस कालोनी निवाडी रोड थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे सम्मिलित अन्य अज्ञात व्यक्तियो की पहचान 1. मेहराज चौधरी पुत्र

जहिर अहमद नि0 ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी जिला मेरठ 2. वसी मौहम्मद पुत्र नन्हे ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी जिला मेरठ व युसुफ पुत्र अय्यूब निवासी रसूलपुर धोलडी थाना जानी मेरठ व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति का नाम प्रकाश मे आया। तथा दिनांक 04.10.2024 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण मेहराज चौधरी पुत्र जहिर अहमद नि0 ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी जिला मेरठ व वसी मौहम्मद पुत्र नन्हे ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी जिला मेरठ को राजचौपला मोदीनगर से मुकदमा उपरोक्त की घटना मे आवेदक से छीने गये रुपयो मे से 6000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिनको न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण –**

पूछताछ करने पर अभियुक्ता आरती उपरोक्त ने बताया कि साहब मैने अपने अन्य साथी मेहराज चौधरी, वसी मौहम्मद व युसुफ पुत्र अय्यूब निवासी रसूलपुर धोलडी थाना जानी मेरठ आदि के साथ मिलकर प्रमोद को अपना आधारकार्ड आदि की छायाप्रति देने के बहाने अपने किराये के मकान निवाडी रोड पर बुलाया था तथा आते ही उससे पैसा प्राप्त करने की नियत से उसके साथ अपनी नग्न अवस्था मे वीडिया बनाकर, अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर ब्लैकमैल कर 10 लाख रुपये की रंगदारी माँग ली थी।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1-आरती पत्नी प्रमोद नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष ,हाल नि0 किरायेदार रूमा त्यागी का मकान मौ0 डिफेंस कालोनी निवाडी रोड थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद

2-मेहराज चौधरी पुत्र जहिर अहमद नि0 ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी जिला मेरठ उम्र 35 वर्ष

3- वसी मौहम्मद पुत्र नन्हे ग्राम रसूलपुर धोलडी थाना जानी जिला मेरठ उम्र 55 वर्ष

**पंजीकृत अभियोंग –**

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

**थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 23.09.2024 को वादिया द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना दी जिसमें आरोपित किया गया था कि प्रतिवादी तालिब हसन उर्फ अंकित पुत्र मौ0 शाहिद निवासी ग्राम कुआखेडा माफी, थाना डिलारी जिला मुरादाबाद के द्वारा वादिया के साथ शादी का झूठा झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना, वादिया के गर्भवती होने की बात पता लगने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट, गाली-गलौच करना। वादिया द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर तत्काल

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त सम्बन्ध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तालिब हसन उर्फ अंकित पुत्र मौ0 शाहिद निवासी ग्राम कुआखेडा माफी, थाना डिलारी जिला मुरादाबाद को मुखबिर की सूचना पर तिगरी गोल चक्कर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मेरी और पीडिता की करीब 04 वर्ष से जान पहचान है। पीडिता ने मेरे खिलाफ थाना क्रोसिंग मे लगभग 06 माह पूर्व दुष्कर्म का मुकदमा लिखाया था जिसमे मैं जेल भी गया था। जमानत पर आने के बाद फिर हम साथ-साथ रह रहे थे। हम दोनों मे फिर कुछ अनबन हुई तो पीडिता ने दोबारा मुकदमा लिखवा दिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त नाम /पता**

तालिब हसन उर्फ अंकित पुत्र मौ0 शाहिद निवासी ग्राम कुआखेडा माफी, थाना डिलारी जिला मुरादाबाद,उम्र करीब 26 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में भी थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पर दुष्कर्म व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करने से संबंधित 01 अभियोग दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।